न्यायालय – सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

(अतिरिक्त कार्यभार)

पीठासीन अधिकारी – आयुषी देवपुरा, आर0जे0एस0

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 174/2019

CNR Number : RJCT170004742019

1– राजस्थान राज्य

–––अभियोगी

बनाम

1– मुकेश पिता बंशीलाल कुमावत, उम्र 46 वर्ष, निवासी खारखंदा, थाना राशमी, जिला चित्तौड़गढ।

–––अभियुक्त

''अपराध अंतर्गत धारा– 4/25 आर्म्स एक्ट''

उपस्थित

1– सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से अनुपस्थित ।

2– श्री आर.एम सुखवाल, अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से ।

–ः: निर्णय:ः–

दिनांक:–18–08–2026

1– प्रकरण में पुलिस थाना राशमी के थानाधिकारी ने मार्फत सहायक अभियोजन अधिकारी न्यायालय के समक्ष चालान अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में पेश किया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 07.12.2019 को अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियोग पंजीबद्ध किया गया।

2– संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13.11.2019 को 01.07 पीएम पर थाना पर जरिये फोन सूचना मिली कि बारु बस स्टेण्ड से पहले राशमी की तरफ आम रोड पर एक व्यक्ति हाथ में लोहे का धारदार घुरा लेकर हवा में लहरा कर आने जाने वाले राहगीरों को डरा रहा है । सूचना पर एचसी कालु सिंह 896 मय जाप्ता कानि अजुर्नलाल 1331 कानि दिनेश कुमार 207 थाने से रवाना हो 01.30 पीएम पर बारू पहुंचे बारू बस स्टेण्ड से पहले बीच रोड पर एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में

धारदार लोहे का घुरा लेकर लहराता हुआ नजर आया। जो लोगों को डरा रहा था जिसे एचसी मय जाप्ता ने घेरा देकर पकड़ा व नाम पता पूछा तो अपना नाम मुकेश बताया। मौके पर स्वतंत्र मोतबीरान मुकेश व सोनू को मोतबीर मामूर कर मुकेश कुमार कुमावत के कब्जे में ली हुई लोहे का धारदार छुरा अपने पास रखने के बारे में अनुज्ञा पत्र व लाईसेंस के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। मुकेश कुमार कुमावत का उक्त कृत्य धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध होने से लोहे का धारदार छुरा की नपती की गई तो लोहे का धारदार छुरा की कुल लम्बाई 32 सेंमी, चौडाई 3 सेंमी, हत्थे की लम्बाई 9 सेंमी तथा फल की लम्बाई 23 सेंमी हुई। जिसको जरिये फर्द शुदा जब्त की जाकर चिट चस्पा की व मुल्जिम मुकेश कुमार को जरिये चेक लिस्ट व फर्द गिरफ्तारी के गिरफतार किया गया। वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 239/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज की गई ।.....आदि।

3– दिनांक 09.01.2020 को अभियुक्त मुकेश को अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का आरोप पृथक से विरचीत कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार कर अन्वीक्षा की मांग की।

4– अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लगाए आरोप को प्रमाणित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित गवाहों को परीक्षित करवाया–

अभियोजन पक्ष का गवाह क्रमांक	गवाह का नाम	विवरण
पी.ड. 1	अर्जुनलाल	चश्मदीद शहादत देगा
पी.ड. 2	मुकेश	फर्द जब्ती अवैध छुरा व मूल गिरफ्तारी व निरीक्षण घटना स्थल की ताईद करेगा
पी.ड. 3	सोनु	फर्द जब्ती अवैध छुरा व मूल गिरफ्तारी व निरीक्षण घटना स्थल की ताईद करेगा
पी.ड. 4	कालुसिंह	एफआईआर की ताईद करेगा
पी.ड. 5	दिनेश	चश्मदीद शहादत देगा
पी.ड.6	शैतान सिंह	हालात तफ्तीशी अर्ज कर मालखाना की ताईद कर एफआईआर व चार्जशीट पर भवानीसिंह के हस्ताक्षर की ताईद करेगा

5– अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए–

प्रदर्श संख्या	प्रदर्शनी का विवरण	द्वारा प्रदर्शित
प्रदर्श पी–1	फर्द जब्ती छुरा	पी.ड.2, पी.ड.3, पी.ड.4, पी.ड.6
प्रदर्श पी–2	फर्द गिरफतारी अभियुक्त मुकेश	पी.ड.2, पी.ड.3, पी.ड.4
प्रदर्श पी–3	नक्शा मौका	पी.ड.2, पी.ड.3, पी.ड.4, पी.ड.6
प्रदर्श पी–4	रिपोर्ट	पी.ड.4
प्रदर्श पी–5	चाक एफआईआर	पी.ड.4, पी.ड.6
प्रदर्श पी–6	अधिसूचना की कॉपी	पी.ड.6
प्रदर्श पी–7 व प्रदर्श पी–8	रोजनामचा रपट रवानगी व आमद	पी.ड.6
प्रदर्श पी–9ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति	पी.ड.6

6– अभियुक्त के बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किए गए तथा अभियुक्त ने कथन किया कि अभियोजन साक्ष्य अस्वीकार है व स्वयं को निर्दोष होना एवं झूंठा फंसाए जाने का कथन किया।

7– दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का कथन रहा है कि अभियोजन की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

8– दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का कथन रहा है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। प्रकरण में गवाहों के बयानों में विरोधाभास है, आरोपित अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

9– बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सम्बन्धित विधि का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। न्यायालय के समक्ष अवधारणीय बिन्दु यह है कि–

(क)– क्या दिनांक 13.11.2019 को समय 01.30 पी.एम पर या उसके लगभग मौजा बारू बस स्टेण्ड से पहले बीच रोड पर एच.सी कालुसिंह थाना

राशमी द्वारा अभियुक्त के चैतन्य कब्जे एवं संज्ञान से एक लोहे का धारदार छुरा बरामद किया, जिसके कुल लंबाई 32 सें.मी., चौडाई 3 सेंमी, हत्थे की लम्बाई 9 सें.मी., फल की लम्बाई 23 सें.मी पाई गई, जिसको अपने कब्जे में रखने या लेकर चलने बाबत् अभियुक्त के पास कोई अनुमति या अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई?

(ख) यदि हॉ, तो अभियुक्त किस दंड का पात्र है ?

10– यह आपराधिक विधि का मूलभूत सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त पर दोष संदेह से परे साबित करना होता है, यदि अभियोजन ऐसा कोई साक्ष्य पेश करने में असफल रहता है, जिससे अभियुक्त की आपराधिक संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई ठोस निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता तो ऐसी स्थिति में संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य अभियोजन में कुल 06 गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया है।

11– गवाह पी0ड0–1 अर्जुनलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 13.11.2019 को थाना राशमी पर कानि के पद पर तैनात था। उस दिन जरिये टेलिफोन सूचना मिली की एक आदमी बारू गांव के पास हाथ मे छुरा लेकर घूम रहा है और लोगों का डरा धमका रहा है। जिस पर कालुसिंह जी हैड साहब, वह और कानि दिनेश थाने से रवाना होकर 1.30 पीएम पर मौके पर पहुंचे यहां एक व्यक्ति रोड पर दाहिने हाथ में छुरा लेकर घूम रहा था तथा रास्ते मे आने जाने वाले लोगों के डरा धमका रहा था। जिसको हैड साहब कालुसिंह ने नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम मुकेश बताया। फिर हैड साहब ने मुकेश को छुरा कब्जे मे रखने बाबत्, लाइसेंस बाबत् पुछा तो लाइसेंस नही होना बताया। फिर हैड साहब ने मुकेश के कब्जे से छुरा जब्त किया और मुकेश को गिरफ्तार किया। मौके पर हैड साहब ने स्वतंत्र मौतबिरान मुकेश सोनी और सोनु को तलब किया। मौके पर हैड साहब ने छुरे की नपती की थी। छुरे की कुल लंबाई 32 सेंटीमीटर पाई गई। छुरे की चौडाई 3 सेंटीमीटर पाई गई थी। हत्थे की लंबाई 9 सेंटीमीटर पाई गई थी। फल की लंबाई 23 सेंटीमीटर पाई गई थी। जब्तशुदा छुरा व गिरफ्तार शुदा मुल्जिम हमराह साथ लेकर थाने पर आए और हैड कानि. ने कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश की।

जिरह में गवाह ने कथन किया है कि घटनास्थल बारू से पहले राशमी रोड का है।

घटनास्थल के आसपास खेत है। अभियुक्त मौके पर किन लोगों को डरा धमका रहा था उनके बारे में कोई जांच नहीं की थी । गवाह ने स्वीकार किया कि जब अभियुक्त से हैड कानि. ने छुरा लिया था तब कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं थे। छुरे की नप्ती हैड कानि. ने की थी ।

12– गवाह पी0ड0–2 मुकेश ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 13.11.2019 की दोहपर को मुकेश व सोनु दोनों राशमी से बारू जा रहे थे, तो पटवार भवन बारू के पास अटल सेवा केंन्द्र के पास एक व्यक्ति हाथ मे लोहे का छुरा लेकर लोगो को डरा रहा था। जिस पर राशमी थाने से हैड कानि. कालुसिंह मय जाब्ता के मौके पर गये। जिसे देख वह व्यक्ति मौके से भागने लगा तो हैड कानि. मय जाब्ता ने घेरा देकर उस व्यक्ति को पकडा व उसने अपना नाम मुकेश कुमार बताया। हैड कानि. ने मुकेश व सोनु को मौतबीर बनने को कहा और उसके सामने से मुकेश के कब्जे मे से एक छुरा जब्त किया व लाइसेंस के बारे मे पुछा तो नही होना बताया। मौके पर हैड कानि. द्वारा छुरे की नपती कि गई व मुल्जिम मुकेश कुमार को गिरफतार कर थाने पर ले गये व कुछ फर्दो पर मुकेश व सोनु के बारू मे हस्ताक्षर करवायें थे। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 01 है। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 02 है । नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी1 से लगायत प्रदर्श पी 3 पर पुलिस थाने पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे । गवाह ने स्वीकार किया कि अभियुक्त मुकेश को वह नहीं जानता है । पुलिस ने उन्हें कोई छुरा नहीं बताया व उनके सामने कोई जब्ती नहीं की थी। उन्होंने अभियुक्त मुकेश को भी नहीं देखा था।

13– गवाह पी0ड0–3 सोनु ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह व मुकेश दोनों राशमी से बारू जा रहे थे तो पटवार भवन बारू के पास अटल सेवा केंन्द्र के पास एक व्यक्ति हाथ मे लोहे का छुरा लेकर लोगो को डरा रहा था। जिस पर राशमी थाने से हैड कानि. कालुसिंह मय जाब्ता के मौके पर आये। जिसे देख वह व्यक्ति मौके से भागने लगा तो हैड कानि. मय जाब्ता ने घेरा देकर उस व्यक्ति को पकडा व उसने अपना नाम मुकेश कुमार बताया। हैड कानि. ने सोनु व मुकेश को मौतबीर बनने को कहा और उनके सामने से मुकेश के कब्जे मे से एक छुरा जब्त किया व लाइसेंस के बारे मे पुछा तो नही होना बताया। मौके पर हैड कानि. द्वारा छुरे की नपती कि गई व मुल्जिम मुकेश कुमार को गिरफतार कर थाने पर ले गये व कुछ फर्दो पर सोनु व मुकेश के बारू मे हस्ताक्षर

करवायें थे। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 01 है, फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 02 है, नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है।।

जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि वह अभियुक्त मुकेश को नही जानता है। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 1 से लगायत प्रदर्श पी 3 पर पुलिस थाने पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। घटना क्या घटी उसकी उसे जानकारी नहीं है । पुलिस ने उन्हें कोई छुरा नहीं बताया व उनके सामने कोई जब्ती नहीं की थी। उन्होंने अभियुक्त मुकेश को भी नहीं देखा था।

14– गवाह पी0ड0–4 कालूसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 13.11.2019 को थाना राशमी पर हैडकानि के पद पर तैनात थे। उस दिन उसे जरिये फोन सूचना मिली कि बारू बस स्टैड से पहले आम रोड पर एक व्यक्ति अपने हाथ में धारदार छुरा लेकर राहगीरों को डरा रहा है। वगैरा सूचना पर वह व मय जाब्ता अर्जुनलाल और दिनेश मय अनुसंधान सामग्री मय प्राईवेट वाहन थाने से 1.07 पीएम पर रवाना हुए। 1.30 पीएम पर बारू चामुण्डा माता मंदिर के पास पहुचे तो एक व्यक्ति अपने दायीने हाथ मे एक धारदार छुरा लेकर खडा मिला। जिसकों उनके व जाब्ता द्वारा घेरा देकर पकडा व नाम पता पुछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश बताया। स्वंतत्र मौतबीर की तलबी पर मुकेश सोनी व सोनू सुखवाल को मामुरकर उक्त व्यक्ति से अपने कब्जे मे धारदार छुरा रखने बाबत् अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछा तो नही होना बताया। जिस पर मुकेश कुमार का कृत्य धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पाए जाने से उक्त छूरा कब्जा में लेकर दोनों मौतबीरान के समक्ष छुरे की नपती की गई तो फल लम्बाई 23 सेंटीमीटर, हत्थें की लम्बाई 9 सेंटीमीटर कुल लम्बाई 32 सेमी पायी गई व चौडाई 3 सेमी पायी गई। उक्त छुरे को जरिये फर्द जब्त कर सिल चिट किया गया व मुल्जिम मुकेश कुमावत को जरिये फर्द गिरफतार कर साथ थाने पर उपस्थित होकर व कार्यवाही हेतू रिपोर्ट मय जब्त शुदा छुरा मय अभियुक्त की रिपोर्ट कार्यवाही हेतू पेश की। उसके द्वारा पेश रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 है जिस पर उसके हस्ताक्षर व पुलिस कार्यवाही पर उसके हस्ताक्षर है, अजयराजसिंह एएसआई थाना इंचार्ज के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 05 है जिस पर उसके व अजयराज सिंह एएसआई थाना इंचार्ज के हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 01 है जिस पर उसके हस्ताक्षर व अभियुक्त मुकेश के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 02 है जिस पर उसके व अभियुक्त मुकेश के हस्ताक्षर है। नक्शा

मौका प्रदर्श पी 03 है जिस पर उनके हस्ताक्षर है।

जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि बारू बस स्टेण्ड आम रोड है और वहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। मौके पर कोई राहगीर नहीं थे, दो मौतबीर जिनका नाम सोनू और मुकेश थे ।

15– गवाह पी0ड0–5 दिनेश ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 13.11.2019 को थाना राशमी पर कानि के पद पर तैनात थे। उस दिन हैडकानि कालूसिंह जी 896 को जरिये फोन सूचना मिली कि बारू बस स्टैड से पहले आम रोड पर एक व्यक्ति अपने हाथ में धारदार छुरा लेकर राहगीरों को डरा रहा है। सूचना पर वह हैड कानि व अर्जुनलाल मय अनुसंधान सामग्री मय प्राईवेट वाहन थाने से 1.07 पीएम पर रवाना हुए। 1.30 पीएम पर बारू चामुण्डा माता मंदिर के पास पहुचे तो एक व्यक्ति अपने दायीने हाथ मे एक धारदार छुरा लेकर खडा मिला। जिसकों हैड कानि व उन जाब्ता द्वारा घेरा देकर पकडा व नाम पता पुछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश कुमार बताया। स्वंतत्र मौतबीर की तलबी पर मुकेश सोनी व सोनू सुखवाल को हैड कानि द्वारा मौतबीर मामुर कर उक्त व्यक्ति से अपने कब्जे मे धारदार छुरा रखने बाबत् अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछा तो नही होना बताया। जिस पर मुकेश कुमार का कृत्य धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पाए जाने से हैड कानि द्वारा उक्त धारदार छुरा कब्जा मे लेकर दोनों मौतबीरान के समक्ष छुरे की नपती की गई तो फल लम्बाई 23 सेंटीमीटर, हत्थें की लम्बाई 9 सेंटीमीटर कुल लम्बाई 32 सेमी पायी गई व चौडाई 3 सेमी पायी गई। हैड कानि द्वारा उक्त धारदार छुरे को जरिये फर्द जब्त कर सिल चिट किया गया व मुल्जिम मुकेश कुमावत को जरिये फर्द गिरफतार कर साथ लेकर थाने पर उपस्थित होकर व कार्यावाही हेतू हैड कानि द्वारा रिपोर्ट दी गई।

जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि मौके पर कोई गांव के लोग मौजूद नहीं थे। गिरफतारी के समय स्वतंत्र गवाह मौतबीर सोनू को तलब किया गया था। छुरा का वजन उसे याद नहीं है। उसने छुरा को हाथ में लेकर देखा था। गवाह ने अस्वीकार किया कि अभियुक्त के पास कोई छुरा बरामद नहीं हआ हो ।

16– गवाह पी0ड0–6 शैतान सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 13.11.2019 को थाना राशमी पर हैडकानि के पद पर तैनात थे। उस दिन प्रार्थी कालूसिंह एचसी 896 द्वारा मुल्जिम मुकेश कुमार कुमावत पिता बंशीलाल निवासी

खारखंदा थाना राशमी के विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही करते हुए जब्तशुदा छूरा मय गिरफतारशुदा अभियुक्त को लेकर थाना हाजा पर पेश किया। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पर ए से बी प्रार्थी कालूसिंह जी व सी से डी अजयराजसिंह जी के हस्ताक्षर होकर ई से एफ पुलिस कार्यवाही पृष्ठांकन है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी प्रार्थी व सी से डी अजयराजसिंह जी के हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाहान प्रार्थी कालूसिंह गवाह दिनेश, अर्जुनलाल, सोनु, मुकेश के बयान कथानानुसार लेखबद्व किये। अधिसूचना की कॉपी प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली सहित उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 07 और प्रदर्श पी 08 रोजनामचा रपट रवानगी व आमद है जिस पर ए से बी कालूसिंह जी के हस्ताक्षर है जिनके हस्ताक्षर वह उनके साथ काम करने से पहचानता है। उस दिन वह मालखाना इचार्ज के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रार्थी कालूसिंह हैडसाहब द्वारा अभियुक्त मुकेश से जब्तशुदा छुरा लाकर मालखाना मे सुरक्षित रखने हेतू उसे पेश किया जिस पर उसने मालखाना रजिस्टर पर क्रम संख्या 120/19 पर मालखाना के ए से बी भाग पर इंद्राज किया, सी से डी स्थान पर माल को शस्त्रागार मे जमा करवाने हेतू श्रीमान् एमजेएम साहब के आदेश क्रमांक 294 दिनांक 02.07.2020 द्वारा जमा करवाया गया का पृष्ठाकंन होकर ई से एफ मालखाना इंचार्ज तंवरसिंह जी के हस्ताक्षर है। नकल मालखाना मुल प्रति प्रदर्श पी 9 है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 09ए है। संपूर्ण अनुसंधान से मुल्जिम मुकेश कुमार के विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया।

जिरह में गवाह ने कथन किया कि अभियुक्त द्वारा छुरा लहराकर किन लोगों को डराया था उन लोगों का नाम एफआईआर में अंकित नहीं था । जब्तशुदा छुरा उसने खोलकर नहीं देखा था । जब्तशुदा छुरा पुराना था । चिट चस्पा करके ही छुरा उसे सौंपा गया था ।

17– इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का उक्त विचारणीय बिंदु के संदर्भ में अवलोकन करें तो अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के संबंध में जो गवाह परीक्षित करवाये गये हैं, उनमें गवाह पी.ड. 4 कालूसिंह रिपोर्ट पेश करता होकर सबसे महत्वपूर्ण गवाह है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में प्रदर्श पी 4 रिपोर्ट के तईद करते हुए कथन

किया कि वह दिनांक 13.11.2019 को थाना राशमी पर हैडकानि के पद पर तैनात थे। उस दिन उसे जरिये फोन सूचना मिली कि बारू बस स्टैड से पहले आम रोड पर एक व्यक्ति अपने हाथ में धारदार छुरा लेकर राहगीरों को डरा रहा है। वगैरा सूचना पर वह मय जाब्ता अर्जुनलाल और दिनेश मय अनुसंधान सामग्री मय प्राईवेट वाहन थाने से 1.07 पीएम पर रवाना हुए। 1.30 पीएम पर बारू चामुण्डा माता मंदिर के पास पहुचे तो एक व्यक्ति अपने दायीने हाथ मे एक धारदार छुरा लेकर खडा मिला। जिसकों उसके व जाब्ता द्वारा घेरा देकर पकडा व नाम पता पुछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश बताया। स्वंतत्र मौतबीर की तलबी पर मुकेश सोनी व सोनु सुखवाल को मामुरकर उक्त व्यक्ति से अपने कब्जे मे धारदार छुरा रखने बाबत् अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछा तो नही होना बताया। जिस पर मुकेश कुमार का कृत्य धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पाए जाने से उक्त छुरा कब्जा मे लेकर दोनों मौतबीरान के समक्ष छुरे की नपती की गई तो फल लम्बाई 23 सेंटीमीटर, हत्थें की लम्बाई 9 सेंटीमीटर कुल लम्बाई 32 सेमी पायी गई व चौडाई 3 सेमी पायी गई। उक्त छुरे को जरिये फर्द जब्त कर सिल चिट किया गया व मुल्जिम मुकेश कुमावत को जरिये फर्द गिरफतार कर साथ थाने पर उपस्थित होकर व कार्यावाही हेतू रिपोर्ट मय जब्त शुदा छुरा मय अभियुक्त की रिपोर्ट कार्यवाही हेतू पेश की। इसी क्रम में गवाह पी.ड. 1 अर्जुन लाल व पी.ड. 5 दिनेश जाब्ते के सदस्य होकर चश्मदीद गवाह के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिनके द्वारा भी गवाह पी.ड. 4 कालू सिंह के समान ही कथन कर अभियोजन कहानी के ताईद के हैं। इसी क्रम में गवाह पी.ड.6 अनुसंधान अधिकारी है, जिसके द्वारा अनुसंधान के दौरान की गयी कार्यवाही अर्थात् गवाहों के बयान लेना, नक्शा मौका मुर्तिब करना एवं तफ्तीश के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया जाना बताया है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण को सिद्ध करने के लिए यह साबित करना था कि घटनास्थल से अभियोजन कहानी के बताए अनुसार अभियुक्त के कब्जे से लोहे का धारदार छुरा जब्त किया गया था। उक्त तथ्य को साबित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.ड. 2 मुकेश व पी.ड. 3 सोनु को परीक्षित करवाया है, जो जब्ती के गवाह होकर प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह हैं। उक्त दोनों गवाहों ने मुख्य परीक्षण में उनके समक्ष अभियुक्त के कब्जे से एक छुरा जब्त होना एवं फर्द जब्ती व गिरफ्तारी पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है, परंतु जिरह के दौरान

उक्त दोनों गवाह अपने बयानों पर अडिग नहीं रहे एवं गवाहों ने यह कथन किया कि प्रदर्श पी 1 से प्रदर्श पी 3 पर पुलिस थाने पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस ने उन्हें कोई छुरा नहीं बताया व उनके सामने कोई जब्ती नहीं की थी। इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों ने जब्ती की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है एवं खाली कागजों पर हस्ताक्षर करना बताया है। ऐसे में उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहों के बयानों से जब्ती की कार्यवाही प्रमाणित नहीं हुई है।

ऐसे में उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के कब्जे से कथित छुरा बरामद होना तथा उक्त छुरा अभियुक्त के कब्जे में होना, संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। यद्यपि जाब्ते के सदस्यों ने अभियोजन कहानी का समर्थन किया है, तथापि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के कब्जे से कथित छुरे की बरामदगी का तथ्य अभियोजन द्वारा स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य से प्रमाणित किया जाना आवश्यक था। जब स्वयं जब्ती के गवाहों के कथनों से अभियुक्त के कब्जे से छुरे की बरामदगी का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में मात्र जाब्ते के सदस्यों के कथनों के आधार पर अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता संदेह से परे साबित नहीं मानी जा सकती।

18– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रदर्शित दस्तावेज से अभियोजन पक्ष अभियुक्त मुकेश पिता बंशीलाल के विरूद्ध आरोपित अपराध कि दिनांक 13.11.2019 को समय 01.30 पी.एम पर या उसके लगभग मौजा बारू बस स्टेण्ड से पहले बीच रोड पर एच.सी कालुसिंह थाना राशमी द्वारा अभियुक्त के चैतन्य कब्जे एवं संज्ञान से एक लोहे का धारदार छुरा बरामद किया, जिसके कुल लंबाई 32 सें.मी., चौडाई 3 सेंमी, हत्थे की लम्बाई 9 सें.मी., फल की लम्बाई 23 सें.मी पाई गई, जिसको अपने कब्जे में रखने या लेकर चलने बाबत् अभियुक्त के पास कोई अनुमति या अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई, को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

ऐसे में अभियुक्त मुकेश को अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय अपराध के लिए संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

–ः: आदेश:ः–

19– परिणामतः अभियुक्त मुकेश पिता बंशीलाल कुमावत, उम्र 46 वर्ष, निवासी खारखंदा, थाना राशमी, जिला चित्तौड़गढ को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 4/25

आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय अपराध के लिए संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त मुकेश द्वारा अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् पुर्व में प्रस्तुत किए गए जमानत मुचलके एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त की ओर से धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना में वांछित जमानत मुचलके पेश किए गए, जो बाद जांच तस्दीक कर शामिल पत्रावली किए गए एवं उक्त प्रस्तुत जमानत मुचलके आज दिनांक से आगामी 6 माह की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगे। प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत छुरा का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(आयुषी देवपुरा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, राशमी,
जिला चित्तौड़गढ़ (अतिरिक्त कार्यभार)

20– निर्णय आज दिनांक 18.08.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित किया गया।

(आयुषी देवपुरा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, राशमी,
जिला चित्तौड़गढ़ (अतिरिक्त कार्यभार)

प्रमाण पत्र

निर्णय/आदेश में किए गए संशोधन को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

नोटः– यह प्रतिलिपि अधिवक्ता/पक्षकार की जानकारी के लिए है। सत्यप्रति न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।

आशुलिपिक तृतीय,
न्यायालय हाजा